माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2017 को सम्पन्न हुई भवन निर्माण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी समीक्षात्मक बैठक के मुख्य कार्य-बिन्दुः-

- भवन निर्माण से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते वक्त सभी आवश्यक कार्य यथा जलापूर्ति, विद्युतीकरण, आंतरिक सुसज्जिकरण आदि सभी कार्यों को समेकित रूप से सम्मिलित कर एक साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर ही निविदा आमंत्रित कराना सुनिश्चित करें।

- भवन निर्माण विभाग भवन के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने के समय सामान्य फर्नीचर की आपूर्त्ति सहित साईनेज एवं रेन वाटर हारवेस्टिंग की भी व्यवस्था लागू करें।

- योजनाओं की प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में बिना स्थल उपलब्धता वाली योजनाओं के लिए संबंधित सभी प्रशासी विभाग को स्वीकृति रद्द करने का निदेश दिया गया।

- मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त वित्त विभाग के साथ समीक्षा कर देख लेंगे कि विभिन्न विभागों के आवंटित कार्य के विरूद्ध समुचित राशि एवं स्थल भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।

- भवन निर्माण विभाग अनुरक्षण एवं मरम्मति नीति यथाशीघ्र तैयार कर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन लेते हुए लागू करें।

- दीर्घकालीन अनुरक्षण मरम्मति संबंधी नीति तैयार करने का निदेश दिया गया।

- भवन निर्माण विभाग को कई प्रकार के आकस्मिक अत्यावश्यक कार्य अपरिहार्य कारणों से तत्क्षण कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए नियमानुकूल तरीके से कार्य कराने की नीति तैयार करें।

- भवन निर्माण विभाग विभागीय रूप से एक मॉडल भवन जिसमें भूकम्परोधी, क्षमता, हरित भवन आदि का समावेश हो, के निर्माण कराने की कार्रवाई करें।

- राज्य में सभी भवनों के निर्माण में सेसमिक जोन-5 के मानक पर ही कार्य कराया जाय।

- अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के क्रम में मगध महिला कॉलेज से सटे चहारदीवारी को ऊँचा कर उसे आकर्षक रूप देने का निदेश दिया गया। साथ ही सतह पर लगाये गए टाईल्स के फिसलन के लिए कार्य से जुड़े सभी अभियन्ताओं से कारण-पृच्छा करें।

GM (South) GM (North) Project Manager

14-10-17

1632 14.10.17

-- अनुदेश की संचिका में

16-10-17

260 Ex 117 By mail

- आई0जी0आई0सी0, पटना के समीक्षा के क्रम में इसके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सभी मदों को शामिल नहीं किए जाने एवं फॉल्स सिलिंग के लिए संबंधित परामर्शी से कारण पृच्छा करें।

- स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालय को भूकम्परोधी करने का निदेश दिया गया।

- उद्यान पदाधिकारी के लिए स्पष्ट निदेश दिया गया कि यह प्रमंडल भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत ही कार्य करेगा। इसके लिए कृषि विभाग से पूर्णकालिक कार्यपालक पदाधिकारी की सेवा प्राप्त करने का निदेश दिया गया। उद्यान कार्य के लिए अतिविशिष्ट क्षेत्र में सुरक्षा को ध्यान में रखकर संवेदनशील आवास/कार्यालय को छोड़कर अन्य भवनों का कार्य ही बाहरी एजेन्सियों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

- भू-सम्पदा पदाधिकारी के लिए पदसृजन एवं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग को बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी की सेवा देने का निदेश दिया गया।

- वैशाली में प्रस्तावित बुद्ध सम्यक संग्रहालय (पत्थर का भवन) के मूल अवधारणा के अनुरूप किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाय।

- असैनिक, विद्युत एवं यांत्रिक के अभियन्ताओं को अन्य राज्य से प्रशिक्षण प्राप्त करने का निदेश दिया गया ताकि कार्य के समय एकरूपता एवं सामंजस्यता स्थापित हो सके।

- निर्णय हुआ कि जिला पदाधिकारी, पटना समाहरणालय को किसी अन्यत्र जगह पर स्थानान्तरित करें ताकि उक्त स्थल पर प्रस्तावित नया समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के समक्ष विभाग के स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे से अवगत कराया गया जिसमें मुख्यतः भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रभारी मुख्य अभियन्ता के मुद्दे पर नियमानुसार कालावधि क्षान्त करते हुए नियमित मुख्य अभियन्ता का पदस्थापन एवं अन्य अभियन्ताओं के लिए संविदा पर नियुक्ति का निदेश दिया गया।

- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी कार्य विभागों को निर्माण कार्य से जुड़े अभियन्ताओं एवं संवेदक को प्रशिक्षण दिलाने संबंधी विस्तृत आयोजन करें।

अन्त में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/-
(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-डी0एम0सी0-1एम-49/2013(पार्ट-1)................/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/अपर सचिव/अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/ उपसचिव/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता/सभी कार्यपालक अभियन्ता/भू-सम्पदा पदाधिकारी/निदेशक(अनु0)/विभागान्तर्गत सभी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-डी0एम0सी0-1एम-49/2013(पार्ट-1)................/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय उपमुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-डी0एम0सी0-1एम-49/2013(पार्ट-1)....8804(श्री)/ पटना, दिनांक 26-9-17

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/9/17

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 020-2017(डी) - 260 दिनांक 16/X/17

प्रतिलिपि उपमहाप्रबंधक (पटना/मुंगेर/गया/भागलपुर) एवम् उपमहाप्रबंधक (प्रशासन/निर्माण) को सूचनार्थ एवम् अनुपालनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16.10.17

ज्ञापांक 020-2017(डी) - 260 दिनांक 16/X/17

प्रतिलिपि आई० टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16.10.17